प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी जी एस) के निबन्धनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।

2. इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हैं। अध्याय–1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों की कार्य प्रणाली का संक्षिप्त परिचय है जिसमें लेखों पर टिप्पणियां और प्रेक्षण भी हैं तथा अध्याय–2 में अनुपालन/ लेन–देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणियां है।

3. प्रतिवेदन में उद्दृत प्रकरण वे है जो वर्ष 2008–09 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2008 से मार्च 2009 की अवधि में 8 नगर निगमों, 22 नगर पालिका परिशदों और 45 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेख निरीक्षित किए गए थे।